संख्या-3/2016/2-ई.एम./2009-का-4-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2016

विषय:-उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्वारा की गयी हड़ताल के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा दिनांक 02.03.2016 से दिनांक 04.03.2016 तक की गयी हड़ताल स्थगित हो जाने के उपरान्त, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति को उनको देय अवकाश में समायोजित करते हुए, उतनी अवधि का अवकाश वेतन उन्हें प्रदान किया जाय।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि हड़ताल में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in